



APIS INDIA LIMITED

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India
T +91 11 4320 6650 F +91 11 2571 3631
E mail@apisindia.com W apisindia.com

AIL/CS/2021-22/214

September 07, 2021

To
The Manager,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 39th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on 07th September, 2021 in 'The Financial Express', English Newspaper and "The Jansatta", Hindi Newspaper regarding the "Notice of 39th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure" in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

For APIS India Limited

Amit Anand
(Managing Director)
DIN. 00951321



Encl: a/a

ग : नीतीश

काफी काम किया है, यहां किसानों को फायदा हो रहा है। नीतीश ने जनीति से जोड़ता है तो यह उन लोगों की राजनीति करने का अपना-ग से नहीं देखते हैं।' उन्होंने बिहार में हुए कहा कि पहले काफी कम से इससे किसानों को लाभ हुआ है। वाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'पिछले 5 वर्षों में स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ा है। कोरोना से मुक्ति पाएं। इसको लेकर हमें धैर्य रखना है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम भी सुविधा के लिए विकास कार्यों की बाधाएं सामने आई हैं।

मुद्राधिक केंद्र,
34
फोन: +91 11 47527777

की जानकारी की सूचना

मा बुधवार 29 सितंबर, 2021 को 11.30 बजे आयोजित की जायेगी। कार्पोरेट कार्य विभाग द्वारा जारी सक्चुरल नॉटिस बॉर्ड द्वारा जारी सक्चुरल नॉटिस। एसीए के विस्तारित आगे के सक्चुरल नॉटिस। 02/2021/11 तिथि 13 जनवरी, 2021 के बिना एजीएम के आयोजन की अनुमति लिखे वीसी के माध्यम से आयोजित की जायेगी एवं शेयर अन्तरण एजेंट के साथ पंजीकृत अनुसार एजीएम सूचना की भौतिक प्रतियां वेबसाइट www.ncerajpaper.com तथा एजीएम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ई-मेल

की सुविधा प्रदान कर रही है और व्यवसायों को सेवाओं के माध्यम किया जा सकता है। की अवधि रविवार, 26 सितंबर, 2021 को समाप्त होगी। किसी संकल्प पर एक बार 15 दिनों के प्रयोजन के लिए कट-ऑफ की एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों

न जाता है और जो कट-ऑफ तिथि यानी (961281) या beetalrta@gmail.com

के बाद नहीं दी जाएगी। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग बैक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी सुविधा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में ई-वोटिंग सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा ग्रहण करने के पात्र होंगे।

सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते एजीएम की सूचना में दी गई है।

क, बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विस प्रोवाइडर्स प्रा. लि. श्री नितिन कुन्दर (022-23058738) या (022-23058542) से सम्पर्क करें या info@beetalrta.com तथा e-voting manual का सन्दर्भ लें। 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपनी विनियम 10 के अनुसार भी एतद्वारा सूचना दी जाएगी एवं शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ बृहस्पतिवार,

बोर्ड के आदेश से
निरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(मानसी)
कम्पनी सचिव

मोरेशन लिमिटेड

कम्पनी
01026363
म, होटल दि अशाक, डिप्लोमेटिक
दिल्ली 110021
फोन: 011-2636363; वेबसाइट: www.ifrc.nic.in

39वीं वार्षिक आम बैठक

सूचना

सभी दस्तावेजों में मां का नाम दर्ज करने के लिए याचिका

चेन्नई, 6 सितंबर (भाषा)।

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया जिसमें संबंधित अधिकारियों को सभी दस्तावेजों एवं प्रमाणपत्रों में मां का नाम दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी आदिकेसवालु की पीठ के समक्ष दायर जनहित याचिका सुनवाई के लिए सोमवार को आई।

apis

एपिस इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
दूरभाष: 011-43206650; फैक्स: 011-25713631; ई-मेल: mail@apisindia.com
वेबसाइट: www.apisindia.com, सीआईएन: L51900DL1983PLC164048

39वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एपिस इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य ऑडियो वीडियो मोड ("OAVM") के माध्यम से, 14 अगस्त, 2021 की 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों की वस्तुओं का लेन-देन करने के लिए गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 12:30 बजे (IST) आयोजित की जाएगी।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना और देश में कई स्थानों पर व्यक्तियों की आवाजाही पर निरंतर प्रतिबंध और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 के अनुसार क्रमशः मामले ("एमसीए परिपत्र") और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी किया गया और अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य ऑडियो वीडियो मोड ("OAVM") के माध्यम से गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 12:30 बजे (IST) आयोजित की जा रही है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और एजीएम की सूचना 06 सितंबर, 2021 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है। उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 39वीं वार्षिक आम बैठक की पूर्वोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com से और सीडीएसएल की वेबसाइट से www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com से डाउनलोड की जा सकती है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 21 के साथ पठित धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी के विनियम 44 (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 के खंड 7.2.1, अनुपालन में कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक में विचार करने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में सन्तुष्ट है और व्यापार ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से सम्पादित किया जा सकता है। एजीएम ("रिमोट ई-वोटिंग") के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा प्रदान की जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- एजीएम की 39वीं सूचना में निर्धारित व्यवसाय को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से लेन-देन किया जा सकता है;
- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को सुबह 9:00 बजे (IST) शुरू होगी और बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे (IST) समाप्त होगी। ई-वोटिंग की अनुमति 29 सितंबर, 2021 को सायं 05:00 बजे (IST) के बाद नहीं दी जाएगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, कट-ऑफ तिथि होने के कारण, एजीएम में मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdsindia.com को एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट (www.apisindia.com) और सीडीएसएल वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है। हालांकि यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को कंपनी की प्रदत्त इकिटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके मतदान करने के पात्र होंगे।
- एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के लिए सदस्य 39वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।
- किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध 'ई-वोटिंग मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं।
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के संबंध में अपने प्रश्नों/शिकायतों को श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, 16वीं मंजिल, फिरोज जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001, ईमेल: helpdesk.evoting@cdsindia.com को संबोधित कर सकते हैं या 022-23058542/43 कॉल कर सकते हैं।
- श्री आनंद कुमार सिंह, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।
- एजीएम में आयोजित ई-वोटिंग के परिणामों के साथ रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ एजीएम को या उसके बाद घोषित किए जाएंगे। स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर एजीएम के समापन के 48 घंटों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे और परिणाम स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं को सूचित किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम 42 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 39वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए समापन अवधि के दौरान अर्थात् गुरुवार, 24 सितंबर, 2021 से गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

दिनांक: 06 सितंबर, 2021
स्थान: नई दिल्ली

एपिस इंडिया लिमिटेड के लिए

अमित आनंद

प्रबंध संचालक

DIN: 00951321